कार्यालय नगर पालिका परिषद मोदीनगर

पंत्राक– 624/न0पा0प0मो0/2022 दि0 11 नवम्बर, 2022

नीलामी सूचना

नगर पालिका परिषद मोदीनगर अपने कार्यालय के पुराने एवं निष्प्रयोज्य सामाग्री की नीलामी ''जहॉ है, जैसा है'' के आधार पर एक लॉट के रुप मे कराने हेतु इच्छुक बोलीदाताओ को आमंत्रित करती है। नीलामी हेतु निष्प्रोज्य सामग्री में सतीश पार्क (02 नग), मोदी यादगार के पीछे (01 नग) तथा मोदीपोन (01 नग) में स्थित पालिका की निष्प्रोज्य पानी की टंकियां तथा पालिका कार्यालय में पड़ी निष्प्रोज्य सामग्री शामिल है, जिसके लिए एक मुश्त बोली लगानी होगी। पालिका में स्थित निष्प्रोज्य सामग्री व पानी की टंकियों का अवलोकन मौके पर जाकर किया जा सकता है। इच्छुक व्यक्ति/फर्म दि0 22–11–2022 को प्रातः 11–00 बजे कार्यालय नगर पालिका परिषद, मोदीनगर मे नीलामी समिति के समक्ष नीलामी मे भाग ले सकते है। बोली बोलने से पूर्व प्रत्येक बोलीदाता को अंकन रु0 2,00,000–00 जमानत धनराशि एवं अपना आधार कार्ड कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य है। समस्त करो/देयको आदि का उत्तरदायित्व बोलीदाता का होगा। सामग्री के सम्बन्ध मे विस्तृत जानकारी, सामग्री का विवरण एवं नीलामी की शर्ते किसी भी कार्य दिवस मे कार्यालय मे स्टोर विभाग से मालूम की जा सकती है।

अधिशासी अधिकारी/उपजिलाधिकारी
नगर पालिका परिषद मोदीनगर

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद मोदीनगर

प्रतिलिपिः–

1– जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– अपर जिलाधिकारी (प्र0)./वरि0प्र0 अधिकारी महोदया, स्थानीय निकाय, गाजियाबाद की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3– उपजिलाधिकारी, मोदीनगर।
4– अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद लोनी, मुरादनगर को इस आश्य से प्रेषित की अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करायें।
5– सम्पादक राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला, मोदीनगर, को इस अनुरोध के साथ कि उक्त सूचना आगामी प्रकाशित होने वाले अंक में कम से कम स्थान पर प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा भुगतान हेतु अपना बिल प्रस्तुत करे।
6– श्री अंकित गोयल, कम्प्यूटर प्रभारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को नगर पालिका की बैवसाईट www.nppmodinagar.com पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
7– कार्यालय के नोटिस वोर्ड पर चस्पा हेतु।

अधिशासी अधिकारी/उपजिलाधिकारी
नगर पालिका परिषद मोदीनगर

कार्यालय नगर पालिका परिषद मोदीनगर (गाजियाबाद)

शरायत नीलामी पुराना निष्प्रयोज्य सामान

1) सामान की नीलामी ''जैसा है जहॉ है'' के आधार पर करायी जायेगी। सामान एक लाट के रूप में एक जगह पडा है पूरे लाट की एक मुश्त बोली लगायी जायेगी। इसके अतिरिक्त पालिका की निष्प्रोज्य पानी की टंकियां – सतीश पार्क (02 नग), मोदी यादगार के पीछे (01 नग) तथा मोदीपोन (01 नग) को भी नीलाम किया जाना है, जिसके लिए एक मुश्त बोली लगानी होगी। पालिका में स्थित सामान व पानी की टंकियों का अवलोकन मौके पर जाकर किया जा सकता है।
2) बोलीदाता को समस्त सामान एवं टंकियों को काटने अथवा ले जाने की व्यवस्था अपने खर्च पर स्वयं करनी होगी। इसमें पालिका द्वारा कोई संसाधन उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।
3) बोली मे भाग लेने से पूर्व अंकन 2,00,000/–रूपयें अग्रिम जमानत धनराशि के रुप मे जमा कराने वाले व्यक्ति/फर्म ही बोली में भाग ले सकेगें।
4) उक्त सामान की नीलामी में पालिका का कोई भी बकायेदार भाग नही ले सकेगा।
5) बोलीदाता किसी भी कार्य दिवस मे नीलामी के पहले सामान का निरीक्षण कर सकते है।
6) किसी भी बोलीदाता को बोली प्रक्रिया के दौरान अपनी बोली वापस लेने की अनुमति नही होगी।
7) समस्त करो/देयको/जी0एस0टी0 आदि के भुगतान का उत्तरदायित्व बोलीदाता का होगा।
8) अधिकतम बोलीदाता को स्वीकृत धनराशि मे से 50 प्रतिशत धनराशि तुरन्त जमा करना अनिवार्य होगा। उक्त धनराशि जमा न करने पर जमानत धनराशि जब्त करते हुए बोलीदाता को आगामी नीलामी मे भाग लेने से वंचित कर दिया जायेगा।
9) जमानत धनराशि समायोजित करते हुए सामान उठाने से पहले शेष 50 प्रतिशत धनराशि जमा कराने के उपरान्त ही सामान ले जाने दिया जायेगा।
10) यदि बोलीदाता 48 घण्टे के अंदर सामान को उठाने मे असफल रहता है तो विक्रय मूल्य के 1% प्रतिदिन के आधार पर रखरखाव का व्यय वसूल किया जायेगा।
11) अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी महोदय किसी भी बोली को वह चाहे उच्चतम ही क्यो न हो स्वीकार करने के लिए बाध्य नही होंगे तथा नीलामी को निरस्त करने का अधिकार अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी महोदय मे निहित होगा।
12) बोली बोलने वाले व्यक्ति/फर्म द्वारा बोली बोलने के बाद मुकर जाने पर आई0पी0सी0 की धारा 185 के अंतर्गत उनके विरुद्व अभियोग चलाया जा सकता है।
13) सभी इच्छुक बोलीदाताओ के पास नीलामी के समय अपने आवास/कार्यालय का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

अधिशासी अधिकारी/उपजिलाधिकारी
नगर पालिका परिषद मोदीनगर

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद मोदीनगर